<u>एक्सपोज़र प्रारूप</u>

संदर्भ सं.:- **दिनांकः 15.02.2022**

आईआईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के प्रस्तावित संशोधनः

1. बीमा उद्योग की गतिशील आवश्यकताओँ की समीक्षा करते समय प्राप्त अनुभव पर विचार करते हुए, दोनों बीमाकर्ताओं और टीपीए को परिचालनात्मक स्वतंत्रता की अनुमति देने के लिए संभावना की जाँच करने हेतु उक्त टीपीए विनियम, 2016 की व्यापक रूप से समीक्षा की गई। वर्तमान विनियमों की समीक्षा विचार करने योग्य अतिरिक्त सुविधाओँ की अनुमति देने के परिप्रेक्ष्य से भी की गई।

2. संशोधन करने के लिए प्रस्तावित उपबंध, प्रस्तावित परिवर्तन और उन परिवर्तनों के लिए तर्काधार **अनुबंध-क** में प्रस्तुत हैं।

3. आईआरडीएआई (टीपीए – स्वास्थ्य सेवाएँ) (संशोधन) विनियम, 2022 का प्रारूप **अनुबंध-ख** में रखा गया है।

4. सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे संलग्न फार्मेट में प्रस्तावित आशोधनों के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव, यदि कोई हों, saurabh.vinayak@irdai.gov.in को 06 मार्च 2022 तक अग्रेषित करें।

महाप्रबंधक (स्वास्थ्य)

अनुबंध-ख

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) (संशोधन) विनियम, 2022 का प्रारूप

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/xx/2022 – बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी और 42ई के साथ पठित धारा 114ए(2)(क्यू),(आर) और (एस) एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ---** (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) (संशोधन) विनियम, 2022 कहलाएँगे।
   (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 में

,

क. विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (घ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"घ. टीपीए का कम से कम एक निदेशक स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देशों में परिभाषित रूप में एक अर्हताप्राप्त चिकित्सक है।"

ख. विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (छ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"छ. आवेदक ने इन विनियमों के विनियम 11(1) में उल्लिखित रूप में कम से कम एक व्यक्ति को नियुक्त किया है तथा जिसके पास टीपीए का व्यवसाय संचालित करने के लिए पर्याप्त अनुभव है;"

ग. विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ज) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"ज. आवेदक के पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों को पूरा करते हैं;

बशर्ते कि टीपीए के ऊपर उल्लिखित अधिकारी एक निरंतर आधार पर भी योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों को पूरा करते हैं।"

घ. विनियम 11 के उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक टीपीए अपने निदेशकों अथवा वरिष्ठ कर्मचारियों में से एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अथवा एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ) को नियुक्त करेगा जो टीपीए के कार्यकलापों के दैनंदिन प्रबंधन के लिए एवं विनियामक अपेक्षाओँ का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।"

ङ. विनियम 11 के उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) प्रत्येक टीपीए के पास एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) होगा जो स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देशों में परिभाषित रूप में एक अर्हताप्राप्त चिकित्सक होगा। ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी टीपीए का एक पूर्णकालिक कर्मचारी होगा।"

च. विनियम 11 के उप-विनियम (4) को हटाया जाएगा।

छ. विनियम 19 के उप-विनियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(6) जहाँ टीपीए दावों के निपटान से संबंधित फाइलों, डेटा और अन्य संबंधित सूचना का अनुरक्षण इलेक्ट्रानिक रूप में करता है, वहाँ टीपीए द्वारा पुनः भौतिक रूप में इनका अनुरक्षण समाप्त किया गया है।"

ज. विनियम 20 के उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1) बीमाकर्ता अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीएएस) के साथ उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा करार करेंगे जहाँ भी टीपीए पालिसीधारकों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त हैं। टीपीए द्वारा स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की शर्तें संविदा करनेवाले पक्षकारों के द्वारा पारस्परिक तौर पर सहमति-प्राप्त रूप में होंगी। पालिसीधारकों को प्रभावी नकदीरहित सेवाएँ प्रदान करने के लिए बीमाकर्ता जिम्मेदार होंगे। प्राधिकरण स्वास्थ्य सेवा करारों के विषय में दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट कर सकता है।"

झ. विनियम 20 के उप-विनियम (2) को हटाया जाएगा।

ञ. विनियम 20 के उप-विनियम (3) को हटाया जाएगा।

ट. विनियम 20 के उप-विनियम (5) को हटाया जाएगा।

ठ. विनियम 20 के उप-विनियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(6) बीमाकर्ताओं के लिए अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीएएस) को दावा अनुभव अथवा दावा लागतों की कमी अथवा हानि अनुपातों के साथ संबद्ध करते हुए, उत्पाद से संबंधित किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान करना निषिद्ध है।"

ड. विनियम 20 के उप-विनियम (8) में, शब्द "पालिसीधारकों" से पहले शब्द "प्रभावी" निविष्ट किया जाएगा।

ढ. विनियम 20 के उप-विनियम (8) के खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"नये टीपीए के संपर्क का विवरण जैसे हेल्पलाइन नंबर, पते आदि अथवा की गई अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओँ की सूचना प्रभावित पालिसीधारकों को तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी।"

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
Insurance Regulatory and Development Authority of India

मसौदा आईआरडीएआई (टीपीए-स्वास्थ्य सेवाएं) (संशोधन) विनियम, 2022 पर टिप्पणी प्रस्तुत करने का प्रारूप
Format for furnishing comments on 'Draft IRDAI (TPA- Health Services) (Amendment) Regulations, 2022

क्रम सं. Sl. No.	विनियम सं. और उप-विनियम सं. Regulation No. & Sub Regulation No.	टिप्पणियाँ/सुझाया गया परिवर्तन Comments/Change suggested	टिप्पणियों/सुझाव के लिए तर्काधार/कारण Rationale/reasons for Comments/suggestion
1			
2			
3			
4			
5			
..			
…			
….			